ऊर्जा विमाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक २१ जनवरी २०२

क्रमांक : एफ--3--30/2021/तेरह : यतः, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित विभाग की अधिसूचना कमांक 8560--2015--तेरह, दिनांक 14 अगस्त, 2015 के माध्यम से, राज्य सरकार ने 33 किलोवोल्ट एवं 250 वोल्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम,2010 के कमशः विनियम 43 एवं विनियम 30 के अधीन विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण और जॉच के प्रयोजन हेतु अधिसूचित वोल्टेज के रूप में घोषित किया था;

अतएव; विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उप–धारा (1) तथा उक्त विनियम के विनियम 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8560–2015–तेरह, दिनांक 14 अगस्त, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :---

"2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम,2010 के विनियम 30 के अधीन विद्युत निरीक्षक द्वारा संस्थापनाओं के आवधिक निरीक्षण और जॉच के प्रयोजन हेतु 33 किलोवोल्ट अधिसूचित वोल्टेज होगा:

परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन आने वाले प्रत्येक संस्थापन का आवधिक निरीक्षण और जांच विद्युत निरीक्षक द्वारा की जाएगी :

परन्तु यह और कि अधिसूचित वोल्टेज के समान या उससे कम वोल्टेज वाली विद्युत संस्थापनाओं का आवधिक निरीक्षण और जांच सुसंगत विनियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिष्टिचत किए जाने के लिए यथास्थिति, विद्युत संस्थापन के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता द्वारा स्व—प्रमाणित की जाएगी और ऐसे संस्थापनों की स्व—प्रमाणन रिपोर्ट विनियमों में विहित प्ररूप में विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत की जायेगी। यथास्थिति संस्थापन के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के पास उक्त विनियम के विनियम 30 के उप—विनियम (2) के अधीन विद्युत निरीक्षक द्वारा संस्थापन का निरीक्षण और जांच कराने का विकल्प होगा:

परन्तु यह और भी कि स्व—प्रमाणन के प्रयोजन के लिए यथास्थिति संस्थापन के स्वामी या आपूर्तिकर्ता या उपभोक्ता के पास उक्त विनियम के विनियम 5.क के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर से सहायता प्राप्त करने का विकल्प होगा।"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No. F-3/30/2021/XIII. Whereas vide this department's notification No. 8560-15-XIII dated 14th August 2015 published in the M.P. Gazette (Extra Ordinary), the State Government declared 33 Kilo Volt and 250 Volt, as notified voltages for the purpose of inspection and testing by the Electrical Inspector under regulation 43 and regulation 30 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulation 2010 respectively.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 162 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and regulation 30 of the said regulation, the State Government, hereby makes following amendment in the department's notification No. 8560-15-XIII dated 14th August 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for clause 2, the following clause shall be substituted, namely:-

"2. For the purpose of periodical inspection and testing of installation by the Electrical Inspector under regulation 30 of the Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulation, 2010, 33 Kilo Volt shall be the notified voltage:

Provided that periodic inspection and testing of every installation covered under Section 54 of the said Act shall be carried out by the Electrical Inspector:

Provided further that periodic inspection and testing of electrical installations of voltage equal to or below the notified voltage shall be self-certified by the owner or supplier or consumer of the electrical installation, as the case may be, for ensuring observance of safety measures as specified under relevant regulations and the self-certification report of such installations shall be submitted to the Electrical Inspector in the form prescribed in the regulations. The owner or the supplier or the consumer of the installation, as the case may be, shall have the option to get the installation inspected and tested by the Electrical Inspector under sub-regulation (2) of regulation 30 of the said regulations:

Provided also that for the purpose of self-certification, the owner or the supplier or the consumer of the installation, as the case may be, shall have the option to obtain the assistance from the Chartered Electrical Safety Engineers authorized by the State Government under regulation 5A of the said regulation.".

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.